रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1981/चैत्र 10, 1903
No. 120] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1981/CHAITRA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1981

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 244 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 28 फरवरी, 1981 की अधिसूचना सं. 18 ए-के. उ. शु. को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना की प्रथम अनुसूची की मद सं. 1 की

उप-मद सं. (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए छः सौ रुपये प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य नियत करती है :—

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के अधीन, किए जाने की अपेक्षा करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 से प्रवृत्त होगी ।

[संख्या 86/81/फा. सं. 7/1/81-के.उ.शु.-1]

आर. देब, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1981

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 244(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 18A/81-Central Excises, dated the 28th February, 1981 the Central Government hereby fixes a tariff value of Six hundred only per quintal of Sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad valorem :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

This notification shall come into force on the 1st day of April, 1981.

[Notification No. 86/81/F. No. 7/1/81-CX. I]

R. DEB, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981